International Journal of Information Movement Vol. VII Issue II (June 2022)
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 1-7

हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था (1803-1858)

डॉ .मंजू बाला
असिस्टेंट प्रोफेसर ,इतिहास विभाग ,
जीवन चानन महिला महाविद्यालय,
असंध ,करनाल) हरियाणा(
Email: manju.panghal81@gmail.com

सारांश-हरियाणा 19वीं शताब्दी के शुरूआत तक मुगल साम्राज्य में शामिल था। 30 दिसम्बर 1803 को सुर्जीअंजन गाँव की सन्धि के तहत दौलतराव सिंधिया ने इस क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कम्पनी को सौंप दिया था। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को प्रशासकीय सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया था। एक भाग' असाईंड टेरिटरी 'जो सीधे कम्पनी शासन के अधीन था और बाकी का सामन्तों को दे दिया था। 1809 के पश्चात् प्रशासनिक व्यवस्था को बदलकर रेजीडेंट के अधीन कर दिया गया। 1819 ई॰ में नागरिक प्रशासन एक आयुक्त को दे दिया गया और असाईंड टेरिटरी को तीन मंडलों में संगठित किया गया, जिनका कार्यभार आयुक्त के सहायक संभालते थे। 1825 ई॰ में नागरिक प्रशासन फिर से रेजीडेंट को दे दिया गया, लेकिन चार साल बाद द्विविभाजन फिर से जरूरी हो गया। यह प्रशासनिक व्यवस्था 1833 ई॰ तक चली। इसके पश्चात् भारत में ब्रिटिश अधिकारिक क्षेत्रों को दो भागों में बंगाल और उत्तर-पश्चिमी प्रांत में बांट दिया गया। उत्तर-पश्चिमी प्रांत की छह मंडलों में से एक दिल्ली मंडल में इस क्षेत्र के छह जिलों को मिलाया गया, जो एक जिला न्यायाधीश व उप-समाहर्ता के अधीन थे। इस तरह पुरानी व नई प्रशासकीय व्यवस्थाओं का मिलाजुला रूप 1857 की क्रांति तक इसी तरह बरकरार रहा। पर 1857 के पश्चात् इस क्षेत्र को पुनर्गठित किया गया और 1858 के एक्ट 38 के अनुसार यह प्रदेश उत्तर-पश्चिमी प्रान्त से कट कर पंजाब का हिस्सा बना। इस व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर पंजाब सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर भी' पंजाब शासन प्रणाली 'लागू कर दी गई जो सन् 1966 तक जब हरियाणा पंजाब से पृथक् हुआ तब तक चली।

1. 0प्रस्तावना -

दक्षिण-पूर्वी पंजाब अर्थात् आधुनिक हरियाणा, इस क्षेत्र का अलग में औपनिवेशिक शासन के विस्तार का विवरण देना संभव नहीं है, 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने हरियाणा को एक अलग क्षेत्र के रूप में प्रशासित करने की कल्पना भी नहीं की थी। अतः अध्ययन के तहत की अवधि में यह क्षेत्र एक अलग प्रशासनिक इकाई नहीं था। इससे पहले मुगल सम्राटों ने हरियाणा को एक अलग क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया था। इस क्षेत्र की एक बड़ी स्थिति संयोगात्मक रूप से आज के गुड़गाँव, महेन्द्रगढ़, सोनीपत, रोहतक, जीन्द, भिवानी, हिसार, सिरसा जिलों करनाल की पानीपत तहसील व दिल्ली के साथ मेल खाती थी। जिनका उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों) आधुनिक उत्तर प्रदेश (को मिलाकर एक अलग प्रशासनिक डिवीजन -दिल्ली डिवीजन के रूप में गठन किया गया था। इसमें पाँच जिले) पानीपत, हिसार, दिल्ली, रोहतक एवं गुड़गाँव (व सात देशी रियासतें) बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, झज्जर, लोहारू, पटौदी, दुजाना एवं फरूखनगर (शामिल थी।

1707 ई॰ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बहुत से स्वतन्त्र व अर्धस्वतन्त्र राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य आपसी युद्धों में व्यस्त थे और इस कारण इनके इलाकों में राजनीतिक परिवर्तन निरन्तर जारी थे। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी भी भारतीय राजनीति के इस संघर्ष में शामिल होती है और पूरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित

करने के लिए इस संघर्ष को धीरे-धीरे लेकिन निरन्तर जारी रखती है। इस संघर्ष में उन्हें पहली सफलता 1757 ई॰ में प्लासी के युद्ध व 1764 ई॰ में बक्सर के युद्ध में प्राप्त हुई जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र इनके अधिकार में आ गया और ये शासक बन गए। लेकिन इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के पश्चात् भी अंग्रेजों की भू-पिपासा शांत नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। इसी दौरान 1798 ई॰ में लार्ड वैलेजली कम्पनी का गवर्नर जर्नल बनकर भारत आया। एक कट्टर साम्राज्यवादी होने के कारण कलकत्ता में पद ग्रहण करते ही उसने अपनी विस्तारवादी योजनाएं बनानी आरम्भ कर दी। सर्वप्रथम उसका ध्यान दिल्ली पर गया। इस समय दिल्ली के तख्त पर शाहआलम बैठा था। यह व्यक्ति हर तरह से अयोग्य था। इसके बावजूद भी वैलेजली के लिए इसे अपने अधीन करना आसान नहीं था, क्योंकि इस समय मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया दिल्ली में बादशाह को अपने नियंत्रण में रखे हुए था। अतः उसे हटाए बिना बादशाह तक पहुँचना सम्भव नहीं था।

अवसर मिलते ही वैलेजली ने दौलतराव के विरूद्ध युद्ध की घोषणा की दी और पराजित होने पर 30 दिसम्बर 1803 को देवगाँव और सुरजीअंजन गाँव की सन्धियों पर हस्ताक्षर करके भोंसले और सिंधिया ने अपनी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी। सुर्जीअंजन गाँव की सन्धि की एक धारा के अनुसार सिंधिया सरदार ने अपने अधिकृत अन्य इलाकों के साथ-साथ वर्तमान आधुनिक हरियाणा का क्षेत्र भी ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप दिया। इसके साथ ही आधुनिक हरियाणा की उत्तरी सीमा के सिख सरदारों ने भी अंग्रेजों के विरूद्ध किए अपने विद्रोहों के असफल होने पर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।

2. 0प्रारम्भिक प्रशासनिक व्यवस्था-

वर्तमान हरियाणा के क्षेत्र को अधिकृत करने के पश्चात् यहाँ के प्रशासन को लेकर अंग्रेजों को एक छोटी सी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र का अपना राजनीतिक, सामरिक व आर्थिक महत्व था, जिसे देखते हुए गवर्नर जर्नल वैलेजली, जर्नल लेक और ऐसे ही कई अन्य उच्च ब्रिटिश अधिकारी इसे सीधे कम्पनी के अधीन करना चाहते थे, जबकि इंग्लैंड स्थित अधिकारी वर्ग कम्पनी की सीमाओं को यमुना नदी से आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। उनका सुझाव इस क्षेत्र के परित्याग करने का था। 1803 ई॰ से 1805 ई॰ तक इस झगड़े का कोई हल नहीं निकला। 1805 ई॰ को अस्थायी गर्वनर बार्लो व जर्नल लेक ने इस झगड़े से निपटने के लिए मध्य मार्ग अपनाया। जिसके तहत न तो इस क्षेत्र का पूरी तरह परित्याग किया गया और न ही अपने पास रखा गया, बल्कि इसे दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग, जिसे सीधे कम्पनी के नियंत्रण में रखा गया और इसे' असाइंड टेरिटरी 'का नाम दिया गया। एक रेजीडेंट नामक अधिकारी को यहाँ की प्रशासकीय व्यवस्था चलाने के लिए नियुक्त किया गया था। यह यमुना के दाएं किनारे पर दिल्ली से 60 कि॰मी॰ उत्तर और 60 कि॰मी॰ दक्षिण में स्थित एक छोटा-सा क्षेत्र था। इस क्षेत्र के उत्तर में सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत तथा हवेली पालम के परगने थे और दक्षिण में पलवल, फिरोजपुर-झिरका, हथीन, नूंह, नगीना, भोड़ा, टपुकड़ा, सोहना और रेवाड़ी के परगने थे। इस क्षेत्र के प्रशासन को चलाने के लिए 'रेजिडेंट 'नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके पास राजनीतिक, सैनिक व न्यायिक शक्तियाँ थी यह सीधा गवर्नर जर्नल के अधीन रहकर कार्य करता था।

इस भाग) असाइंड टेरिटरी (के अलावा बाकी बचा दूसरा भाग, जो कि बहुत बड़ा था। ब्रिटिश सरकार ने उन सामंतों और सरदारों में बांट दिया जिन्होंने आंग्ल-मराठा युद्ध) 1803-05) में अंग्रेजों को सैनिक सहायता दी थी। इससे अंग्रेजों को एक ओर तो सामन्तों का एक शक्तिशाली गुट प्राप्त हो गया, दूसरी ओर इन राज्यों ने ब्रिटिश व सिख राज्यों के बीच और ब्रिटिश व राजस्थान के रजवाड़ों के बीच अवस्थित होकर एक' प्रतिरोधी क्षेत्र 'का काम किया। 1805 ई॰ में स्थापित व्यवस्था 1809 ई॰ तक बनी रही। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के भय के कारण यमुना पार के सिख राजाओं द्वारा अंग्रेजों से सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सभी सरदारों को अपने संरक्षण में ले कर अपनी सीमा यमुना से सतलुज तक बढ़ा ली।

1809 ई॰ में जब यह सम्पूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया तो एक नई प्रशासकीय व्यवस्था यहाँ कायम की गई जो बहुत कुछ मुगल प्रशासन का ही एक रूप थी। आधुनिक रेजीडेंट को पुराने गवर्नर की तरह ही अनेक प्रकार की कार्यकारी, वित्तीय तथा न्यायकारी शक्तियां दी गई थी। हालांकि वह अपना सारा काम बंगाल रेग्यूलेशन 8 (1805) की धारा के अनुसार मुगल बादशाह के नाम से ही करता था।) यह स्थिति 1832 तक चली थी (लेकिन वास्तविक रूप से गर्वनर-जर्नल से उसका सीधा सम्बन्ध था, और वह गवर्नर जर्नल की परिषद के दिशानिर्देशानुसार ही कार्य करता था। सारे प्रदेश की व्यवस्था के लिए वह कुछ कनिष्ठ अधिकारियों की भी सहायता लेता था, जिन्हें सहायक कहा जाता था। ये संख्या में दो से चार तक होते थे। इनमें से सबसे वरिष्ठ सहायक को प्रमुख सहायक कहा जाता था, जो मालगुजारी एकत्रित करने के कार्य को सम्भालता था। दूसरा सहायक एक तरह से दिल्ली तथा उसके आसपास के थोड़े से क्षेत्र का दण्डाधिकारी था। बाकी के सहायक रेजीडेंट द्वारा दिए गए विविध कार्यों को सम्भालते थे।

न्यायिक कार्यों के लिए इस क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग, दिल्ली का महल) लाल किला(, यहाँ मुगल बादशाह न्याय करता था और दूसरा भाग, बाकी बचा क्षेत्र) असाइंड टेरिटरी (इसमें कई प्रकार की अदालतें कार्य करती थी। दीवानी मामलों के लिए तीन अदालतें थे, पहली अदालत या निचली अदालत, जहाँ 100 रुपये तक के झगड़े सुलझाये जाते थे। इनमें पंडित, मुफ्ती एवं काजी से बना न्यायाधीशों का एक त्रिकोण मामले सुनता था। दूसरी अदालत, सहायक अधिकारी की अदालत थी जो प्रथम अदालत से बड़ी थी और यहाँ किसी भी मूल्य के मामले निपटाये जा सकते थे। तीसरी, रेजीडेंट के अधीन सर्वोच्च अदालत थी, जिसमें बाकी दोनों अदालतों के फैसलों के विरूद्ध अपीलें सुनी जाती थी।

इसके अतिरिक्त फौजदारी मामलों के लिए दो प्रकार की अदालतें थी। पहली, असिस्टेंटों की अदालत और दूसरी, रेजीडेंट की अदालत, जो केवल पुनर्विचार अदालत थी। साथ ही इस क्षेत्र में कई रजवाड़े भी थे, जहाँ न्याय तथा सब प्रकार की व्यवस्था नवाब या राजा ही करते थे। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि इस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार के पास न तो कोई कानून लिखित रूप में उपलब्ध थे और न ही उन्होंने कोई कानून संहिता बनाई थी।

मई 1811ई॰ में चार्ल्स टी॰ मेटकॉफ ने इस क्षेत्र में' दिल्ली व्यवस्था 'नामक एक नई प्रशासकीय व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था एक खोज पर आधारित' देशी अभ्यास और विनिमय भावना) 'Native practice and regulation sprit (का सम्मिश्रण थी। मेटकॉफ की यह' दिल्ली व्यवस्था '1819 ई॰ तक चली। मेटकॉफ के जाने के पश्चात्' दिल्ली व्यवस्था 'में कुछ प्रशासनिक बदलाव किए गए। सबसे पहले, रेजीडेंट की दोनों प्रकार की नागरिक एवं राजनीतिक शक्तियों को दो अलग-अलग व्यक्तियों रेजीडेंट और कमिश्नर में बांट दिया गया। रेजीडेंट को सिर्फ राजनीतिक शक्तियाँ दी गई तथा शेष शक्तियाँ एक नए पदाधिकारी कमिश्नर को दी गई। दूसरा, प्रशासन को शांतिपूर्वक चलाने के लिए' असांइड टेरिटरी 'को तीन मंडलों में बांट दिया गया। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र दिल्ली से रेवाड़ी एवं हांसी हिसार तक फैला हुआ था। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इस क्षेत्र का प्रशासन चलाना काफी जटिल था। इसलिए इसे तीन छोटे-छोटे प्रशासकीय टुकड़ों में बांटा गया था, जो निम्नलिखित हैः -1) उत्तरी मंडल, जिसमें सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हांसी एवं हिसार के क्षेत्र शामिल थे। इसका मुख्यालय हिसार में स्थित था। 2) केन्द्रीय मंडल, जिसमें दिल्ली, व उसके आस-पास का क्षेत्र शामिल था तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में था। 3) दक्षिणी मंडल, इसमें पलवल, होडल, मेवात, रेवाड़ी एवं गुड़गाँव के क्षेत्र शामिल थे। इसका मुख्यालय गुड़गाँव में था। इन मंडलों के प्रशासन का प्रभार कमिश्नर के तीन सहायकों को दिया गया था। ये सहायक अपने-अपने मंडलों में लघु आयुक्त की तरह कार्य करते थे। इनका मुख्य कार्य मालगुजारी एकत्रण, दीवानी व फौजदारी मामलों को निपटाना और

शांति व्यवस्था कायम रखना था।

इसके अतिरिक्त इस समय' असाइंड टेरिटरी 'का नाम भी बदलकर' दिल्ली टेरिटरी 'रख दिया गया था। 1820 ई॰ में इस व्यवस्था में एक छोटा सा परिवर्तन और किया गया। कमिश्नर व रेजीडेंट के दोहरे प्रशासकीय नेतृत्व के कारण कम्पनी सरकार को कुछ व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए कमिश्नर के पद को बदलकर उसके स्थान पर उप अधीक्षक को नियुक्त किया गया, जो रेजीडेंट के अधीन था। पहले की तरह ही यह व्यवस्था भी लम्बे समय तक नहीं चली। मई 1822 ई॰ में बंगाल सूबे का बंटवारा होने पर बंगाल के अतिरिक्त उत्तर-पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया ओर राजस्व बोर्ड के कमिश्नर को इन प्रांतों के लिए नियुक्त किया गया। इस नई व्यवस्था में दक्षिण-पूर्वी पंजाब को भी उत्तर-पश्चिमी प्रांत में शामिल किया गया। उत्तर-पश्चिमी प्रांत के छह मंडलों में से इस क्षेत्र को भी एक मंडल का रूप दिया गया। अब पंजाब के इस दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र को' दिल्ली मंडल कहा जाने लगा और इसका मुख्यालय दिल्ली को बनाया गया।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत रेजीडेंट का उप-अधीक्षक के ऊपर से नियंत्रण हटा दिया गया और बोर्ड पर मुख्य आयुक्त बना दिया गया। अब उसे गर्वनर जर्नल के प्रतिनिधि के तौर पर स्वतन्त्र रूप से राजनीतिक शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार दे दिया गया। इसके पश्चात् 1824 ई॰ में प्रशासन की सुविधा के लिए दिल्ली मंडल को पाँच जिलों दिल्ली, रोहतक, हांसी, रेवाड़ी, एवं पानीपत) करनाल व सोनीपत को मिलाकर (में बांट दिया गया। एक न्यायिक समाहर्ता नामक अधिकारी को हर जिले के प्रबन्ध के लिए नियुक्त किया गया। जिलों को आगे तहसीलों में बांटा गया, जिनका प्रबन्ध जूनियर भारतीय अफसरों) तहसीलदारों (को सौंपा गया। आगे हर तहसील को जैलों में बांट दिया गया। जैलों की देखभाल की जिम्मेदारी अर्ध-सरकारी अधिकारी) जैलदार (को दी गई। ये जैलदार ज्यादातर अपने इलाके के चौधरी होते थे और सरकार एवं गाँवों के बीच एक कड़ी का काम करते थे। प्रशासन की सबसे निचली इकाई गाँव जैलों के नीचे आती थी, जिनकी देखरेख गाँव के लंबरदारों या नेताओं द्वारा की जाती थी। ये मुख्यतः पटवारी एवं चौकीदार की मदद से सरकारी माल वसूल करते थे। अतएव इस क्षेत्र की यह प्रशासकीय व्यवस्था पहली व्यवस्था से अलग थी।

1824 ई॰ में ही दिल्ली टेरिटरी को राजस्व बोर्ड के नियंत्रण से मुक्त कर तुरन्त ही रेजीडेंट के अधीन कर दिया गया। लेकिन सारे राजस्व व्यापार के लेन-देन से फायदा उठाने के लिए मुख्य आयुक्त ने खुद बोर्ड की सेवाओं को जारी रखा। कुछ वर्षों पश्चात् 1832 ई॰ में रेजीडेंट और मुख्य आयुक्त का कार्यालय समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह गवर्नर जर्नल के एक राजनीतिक प्रतिनिधि को दे दी गई। 1832ई॰ में यहाँ की प्रशासकीय व्यवस्था में एक और परिवर्तन किया गया। 1832ई॰ के रेग्यूलेशन पाँच के अनुसार दिल्ली टेरिटरी को आगरा स्थित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इलाहाबाद स्थित सदर अदालत के अधिकार क्षेत्र के साथ मिला दिया गया। साथ ही अधिकारियों को व्यापार का लेनदेन अपने अनुरूप करने के भी निर्देश दिये गये थे।

3. 0नई प्रशासनिक व्यवस्था-

1833ई॰ के चार्टर एक्ट के अनुसार 1835ई॰ में लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप में सूबे के उपमंडल आगरा को और उन्नत कर उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के नाम पर परिभाषित किया गया, जिसका मुख्यालय आगरा में स्थित था। इन्हें छह मंडलों में बांटा गया। इस नई व्यवस्था में वर्तमान हरियाणा भी छह मंडलों में से एक मंडल 'दिल्ली मंडल 'में आता था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में था। हालांकि इस के' ऊपरी क्षेत्रों 'का प्रशासन जिसमें वर्तमान करनाल एवं अम्बाला के जिले आते थे, संरक्षित सिख और पहाड़ी सरदारों के क्षेत्रों में नियुक्त सरकारी प्रतिनिधि और राजनीतिक मामलों के अधीक्षक द्वारा चलाया जाता था। इनका मुख्यालय

अम्बाला में स्थित था। यह व्यवस्था 1849 ई॰ तक चली। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के पश्चात् पंजाब का यह दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र तो पंजाब सरकार के अधीन चला गया, लेकिन दिल्ली मंडल उत्तर-पश्चिमी प्रांतों का ही एक अभिन्न अंग रही, जब तक कि 1832 के रेग्यूलेशन पाँच को खत्म कर 1858 के एक्ट 38 के अन्तर्गत 9 फरवरी, 1858 के नं॰ 9 के निर्देशानुसार भारत की सरकार द्वारा इसे पंजाब को नहीं सौंपा गया।

4. 0प्रांतीय प्रशासन

1857 की क्रांति की विफलता के पश्चात् फरवरी 1858 में हरियाणा क्षेत्र को उत्तर-पश्चिमी प्रांत से अलग कर पंजाब के साथ मिला दिया गया। पंजाब सरकार ने विलय होते ही सारे क्षेत्र पर पंजाब शासन प्रणाली लागू कर दी। इस नई प्रशासकीय व्यवस्था को अध्ययन की सुविधा के अनुसार दो भागों प्रांतीय स्तर एवं स्थानीय स्तर में विभक्त कर सकते हैं। पंजाब प्रांत के अन्य स्रोतों की तरह हरियाणा पर भी प्रांतीय प्रशासकीय व्यवस्था का नियंत्रण था, जो मुख्य आयुक्त) बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर (के अधीनस्थ था। मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो विभाग) सचिवालय व कार्यान्वयन विभाग (स्थापित किए गए थे। सचिवालय कार्यपालिका के समस्त दायित्वों को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार था। वह मुख्य आयुक्त की नीति निर्धारण में सहायता और बजट का मसविदा भी तैयार करता था। इसका काम तीन कार्यकारी सचिवों) मुख्य सचिव, राजस्व सचिव व वित्त सचिव (की मदद से चलाया जाता था। उनकी सहायता के लिए तीन अवर सचिव, कुलसचिव और मीर मुंशी थे।

दूसरा विभाग कार्यान्वयन विभाग था जिसमें अनेक महकमे होते थे और प्रत्येक महकमे में एक कार्यकारी संगठन होता था, जिसका अध्यक्ष सम्बद्ध विभागीय सचिवालय का कोई उच्च अधिकारी होता था जो नियंत्रक या निदेशक के रूप में जाना जाता था। ये अधिकारी वित्त आयुक्त, शिक्षा विभाग के निदेशक, मुख्य अभियन्ता, जेलों व पुलिस के प्रमुख निरीक्षक, पंजीकरण के प्रमुख निरीक्षक, कृषि निदेशक, जंगलात के रक्षक तथा कानून के विशेषज्ञ आदि थे। इसके अतिरिक्त कुछ केन्द्रीय विभाग भी थे जो कि प्रांत की सेवार्थ यहाँ कायम थे, जैसे -डाक विभाग आदि।

5. 0स्थानीय प्रशासन

स्थानीय स्तर की व्यवस्था के अन्तर्गत हरियाणा को पंजाब में मिलाने के बाद दो मंडलों में बांट दिया गया था। ये मंडल थे दिल्ली, हिसार। दिल्ली मंडल में दिल्ली, गुड़गाँव और पानीपत के जिले और हिसार मंडल में हिसार, सिरसा और रोहतक के जिले शामिल थे। ये जिले आगे चलकर तहसीलों में, तहसीलें जैलों में और जैल गाँवों में विभक्त थी।

आजकल की तरह ही उन दिनों भी स्थानीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी जिला प्रशासन होता था। यह राज्य सरकार के सभी कामों का आधरस्थल होता था। जिला प्रशासन की धुरी जिलाधीश होता था। वह आई॰सी॰एस॰ का व्यक्ति होता था। वह तीन पृथक् रूपों) जिलाधीश, समाहर्ता, जिलाधिकारी (में कार्य करता था। जिलाधीश के पद पर रहकर वह शांति और व्यवस्था सम्बन्धी कार्य, फौजदारी प्रशासन का संचालन, पुलिस तथा जैल का नियंत्रण करता था। समाहर्ता के रूप में वह भू-राजस्व की व्यवस्था, भूमि के अभिलेख रखने तथा भूमि सुधार के सभी कार्य उसकी देखरेख में सम्पन्न होते थे। जिलाधिकारी के रूप में वह सम्पूर्ण जिले की आर्थिक दृष्टि से औद्योगिक, व्यापारिक तथा कृषि व उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों का दायित्व वहन करने के साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, प्रकाश आदि के लिए भी व्यवस्था करता था। इसके अतिरिक्त वह लोक-कल्याणकारी कार्यों और बाढ़, अकाल, सूखा, संक्रामक रोगों के फैलने पर सुविधाएं जुटाने के लिए भी जिम्मेवार था। जिलाधीश अपने अनेक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अनेक

पदाधिकारियों जैसे -पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा निरीक्षक आदि की सहायता प्राप्त करते थे। इनके अतिरिक्त अधीनस्थ कर्मचारियों की काफी बड़ी संख्या थी जो इन पदाधिकारियों के नीचे काम किया करते थे।

जिलों का आगे पुनर्विभाजन तहसीलों में था, जो तहसीलदार के अधीन थी। बड़ी तहसीलों में जहाँ काम अधिक था, वहाँ तहसीलदार की मदद के लिए कई नायब तहसीलदार भी थे। इनका मुख्य कार्य लगान वसूली था।

तहसील के बाद भी प्रशासकीय इकाई जैल होती थी जो कि 10-20 गाँवों को मिला कर बनाई जाती थी। जैल का अधिकारी जैलदार कहलाता था। वह क्षेत्र के लम्बरदारों और पटवारियों के कार्य का निरीक्षण, भूमि सर्वेक्षण, फसल निरीक्षण अभिलेखों की तैयारी व मूल्यांकन, सार्वजनिक कार्यों की देखभाल, अपराधों की छानबीन, अकाल पीड़ितों के लिए राहत कार्य, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति आदि में सरकार की सहायता करता था। जैल में जितने भी लगान की वसूली होती थी उसमें से 10 प्रतिशत भाग उसे पारिश्रमिक के रूप में मिलता था।

प्रशासन की निम्नतम इकाई गाँव था। जिसके तीन मुख्य अधिकारी थे -लम्बरदार, पटवारी और चौकीदार। इनमें सबसे ऊँचा दर्जा लम्बरदार का होता था। इसका मुख्य कार्य अपने गाँव या गाँव बड़ा हुआ तो पाना से लगान वसूल करना व शांति और अनुशासन को कायम रखना था। इस सेवा के बदले उसे समस्त संकलित राजस्व का 5 प्रतिशत भाग मिलता था जो कि ' पिचोतरा ' कहलाता था। पटवारी गाँव का क्लर्क था जो गाँव के राजस्व का हिसाब तैयार करता था। चौकीदार जो सबसे छोटा अधिकारी था। गाँव की देखभाल के साथ लम्बरदार व पटवारी के लिए चपरासी का कार्य करता था। वह गाँव में जन्म-मृत्यु का लेखा भी रखता था और गाँव में मुनादी भी करवाता था।

6. 0भू-राजस्व व्यवस्था

इसके अतिरिक्त औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व के लिए एक अलग प्रशासन भी स्थापित किया गया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू-राजस्व का महत्वपूर्ण स्थान केवल इसलिए नहीं था कि सरकार के लिए राजस्व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, बल्कि देश के सामान्य प्रशासन में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा एक अलग प्रशासनिक विभाग बना कर इसे नियंत्रित करने की कोशिश की गई। वित्त आयुक्त राजस्व प्रशासनिक संरचना का मुखिया होता था। जिले में भू-राजस्व संगठन का मुखिया उप-समाहर्ता होता था। कई अन्य विशेष सेवाएं जैसे सहकारी, कृषि व सिंचाई भी उनके अपने कर्मचारियों के साथ प्रदान की गई थी। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था और जिलों को मंडलों में बांटा गया था व हरेक को एक आयुक्त के अधीन रखा गया। मंडलों को आगे तहसीलों में बांटा गया था तथा हरेक में एक सहायक या नायब-तहसीलदार के साथ एक तहसीलदार की नियुक्ति की गई थी। तहसील एक उप-मंडल में स्थापित किए गए थे और इसे अतिरिक्त सहायक या उप-मंडल अधिकारी के विशेष संरक्षण में रखा गया। राजस्व प्रशासन की इकाई एक जागीर थी, जो आमतौर पर एक गाँव के साथ पहचानी जाती थी। हरेक जागीर का भूमि सम्बन्धी अधिकारों का अपना एक अलग रिकार्ड था और कृषि सांख्यिकी का एक अलग लेखा था। राजस्व की अदायगी के लिए गाँव का मुखिया जिम्मेवार होता था। पटवारी गाँव का लेखापाल होता था। गाँवों को जैलों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक में एक जैलदार नियुक्त किया गया था। बीस के करीब जेलों या छोटे क्षेत्रों को कानूनगों के उत्तरदायित्व में रखा जाता था।

7. 0निष्कर्ष-

अतः अंग्रेजों ने पंजाब के इस दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र) वर्तमान हरियाणा (को एक लम्बे समय तक अपने

प्रशासनिक अनुभवों के प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। चाहे अपने औपनिवेशिक हितों के अनुरूप ही सही ब्रिटिश शासकों ने यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तनों के साथ साथ भू-राजस्व, न्याय और अन्य क्षेत्रों में कई नये प्रयोग किये जिसने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन कृषि पर आधारित था, इसलिए अंग्रेजों की बदलती प्रशासकीय व्यवस्थाओं का सबसे अधिक प्रभाव भी कृषि एवं कृषि से जुड़े वर्गों पर अधिक पड़ा।

8. 0संदर्भ-

1. के°सी° यादव, हरियाणा :इतिहास एवं संस्कृति, खण्ड-दो, (1803-1966) मनोहर पब्लिकेशन, दिल्ली)2003)
2. के°सी° यादव, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा, मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1977
3. के°सी° यादव, हरियाणा स्टडीज इन हिस्ट्री एंड कल्चर, कुरुक्षेत्र, 1968
4. अबुल फजल, आईन-ए-अकबरी, (इंग्लिश ट्रांस° जेरिट(, वोल्यूम-2
5. बुद्धा प्रकाश, (सं° (ग्लिम्पसिस ऑफ हरियाणा, कुरुक्षेत्र, 1968
6. ताराचंद, भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास, खण्ड-1, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1965
7. नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इण्डिया, फॉरेन पोलिटिक्ल प्रोसिडिंग्स, नं° 17-20, 24 अक्तूबर, 1805
8. करनाल डिस्ट्रिक्ट, एस°आर°, 1872-80
9. दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, एस°आर°, 1872-78
10. पर्सिवल स्पीयर, टविलाईट ऑफ दा मुगल्स, कैम्ब्रिज, 1951
11. एच°के° तरिवासकिस, द पंजाब ऑफ टूडे, सिविल एंड मिलिट्री गजेटियर, लाहौर, 1931
12. पंजाब स्टेट आर्काइव्ज ,फाइल163 / बी ,पेज स .5-9